NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 17-08-2026

विषय सूची

बेहतर स्वास्थ्य देखभाल हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुकूलन संभव

वर्ष 2028–29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की सदस्यता हेतु भारत का अभियान

मेघालय द्वारा खदान बंदी नीति के क्रियान्वयन में विलंब

मधु क्रांति (The Sweet Revolution): मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन और परागणकर्ताओं का संरक्षण

ओडिशा में तटीय कटाव

संक्षिप्त समाचार

- श्री अरविंद
- शाही भारतीय नौसेना विद्रोह
- राजस्थान वृक्ष (संरक्षण) विधेयक-2026
- सप्तधारा
- फ्रेडराइख एटैक्सिया (FRDA)
- हारा मैंग्रोव वन

बेहतर स्वास्थ्य देखभाल हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुकूलन संभव

संदर्भ

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इसके माध्यम से उपचार में होने वाली देरी को कम किया जा सकता है, चिकित्सक अधिक सूचित एवं बेहतर निर्णय ले सकते हैं तथा अधिक रोगियों को उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

परिचय

- वर्ष 2025 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित 1,000 से अधिक चिकित्सा उपकरणों को स्वीकृति प्रदान की। इनमें विकिरण-विज्ञान, हृदय-विज्ञान तथा रोगों की पहचान से संबंधित अन्य क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण शामिल हैं।
- यूनाइटेड किंगडम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) ने वर्ष 2025 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित **पृष्ठभूमि चिकित्सकीय लेखन** के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
- वर्ष 2026 तक, वहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम विकसित किया जा रहा था।
- ये प्रयास स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे व्यापक परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब केवल नवाचार से जुड़ी टीमों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि चिकित्सकीय परामर्श, रोगों की पहचान से संबंधित कार्यप्रणालियों तथा अस्पतालों के संचालन में भी इसका उपयोग बढ़ रहा है।

भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र

- भारत की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को मुख्यतः दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जाता है—**सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र।**
  - **सार्वजनिक क्षेत्र:** इसमें प्रमुख शहरों में सीमित संख्या में द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा संस्थान शामिल हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
  - **निजी क्षेत्र:** निजी क्षेत्र में द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने वाले अधिकांश संस्थान शामिल हैं। इनकी प्रमुख एकाग्रता महानगरों तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शहरों में है।
- **चिकित्सा पर्यटन:** वर्ष 2020–2021 के चिकित्सा पर्यटन सूचकांक में भारत विश्व के 46 गंतव्यों में **10वें स्थान** पर रहा।
  - विश्व के 20 प्रमुख स्वास्थ्य एवं कल्याण पर्यटन बाजारों में भारत **12वें स्थान** पर रहा।
  - एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 10 प्रमुख स्वास्थ्य एवं कल्याण पर्यटन स्थलों में भारत **5वें स्थान** पर रहा।
- भारत में कुल **69,364 अस्पताल** हैं, जिनमें 43,486 निजी अस्पताल और 25,778 सार्वजनिक अस्पताल शामिल हैं। देश में लगभग **12 लाख पंजीकृत चिकित्सक** हैं, जिससे चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित स्तर तक पहुँच गया है।
- **भविष्य का अनुमान:** भारत के अस्पताल क्षेत्र का राजस्व वर्ष 2020–21 में **7,940.87 अरब रुपये** था और वर्ष 2027 तक इसके बढ़कर **18,348.78 अरब रुपये** होने का अनुमान है। इस अवधि में इसके **18.24 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर** से बढ़ने की संभावना है।

भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** भारत अपर्याप्त स्वास्थ्य अवसंरचना की समस्या का सामना कर रहा है। देश में अनेक चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक एवं पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है।
  - सरकार ने निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए कम-से-कम पाँच एकड़ भूमि पर निर्माण करना अनिवार्य किया था। इसके परिणामस्वरूप कई महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए, जहाँ जीवन-यापन की परिस्थितियों तथा कम वेतनमान के कारण पर्याप्त रूप से योग्य और पूर्णकालिक चिकित्सकों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- **कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी:** देश में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की गंभीर कमी है। इनमें चिकित्सक, नर्स, सहायक चिकित्सा कर्मी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कर्मी शामिल हैं।
  - चिकित्सक-रोगी अनुपात अभी भी कम है। भारत में प्रति 1,000 लोगों पर केवल **0.7 चिकित्सक** हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का औसत **2.5 चिकित्सक प्रति 1,000 व्यक्ति** है।
- **जनसंख्या घनत्व एवं जनसांख्यिकीय विविधता:** भारत की विशाल एवं विविधतापूर्ण जनसंख्या सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने में विशिष्ट चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।
  - वृद्ध होती जनसंख्या तथा उससे संबंधित दीर्घकालिक रोगों में वृद्धि स्वास्थ्य व्यवस्था पर अतिरिक्त भार डाल रही है।

NEXT IAS हिन्दी

- **स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक व्यक्तिगत व्यय:** यद्यपि सार्वजनिक अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन इन संस्थानों में पर्याप्त कर्मचारियों की कमी, सीमित सुविधाएँ तथा उनका मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में स्थित होना एक गंभीर समस्या है। इसके कारण लोगों को निजी चिकित्सा संस्थानों का सहारा लेना पड़ता है और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यक्तिगत व्यय बढ़ जाता है।
- **रोगों का बढ़ता भार:** तपेदिक जैसे संक्रामक रोगों का उच्च प्रसार तथा मधुमेह और हृदय रोग जैसे गैर-संचारी रोगों का बढ़ता बोझ भारत के सामने दोहरी चुनौती प्रस्तुत करता है।
    - प्रति वर्ष लगभग **58 लाख भारतीय** हृदय एवं फेफड़ों से संबंधित रोगों, मस्तिष्काघात, कैंसर और मधुमेह के कारण मृत्यु का शिकार होते हैं।
- **नैदानिक सेवाओं की कमी:** भारत में रोगों की जाँच एवं पहचान से संबंधित सेवाएँ मुख्यतः महानगरों और बड़े शहरों तक ही केंद्रित हैं।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी से संबंधित समस्याएँ:** स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच प्रभावी सहयोग स्थापित करना एक प्रमुख चुनौती है।
    - इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि निजी स्वास्थ्य क्षेत्र व्यापक जनस्वास्थ्य उद्देश्यों की पूर्ति में प्रभावी योगदान दे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधान

- **दक्षता बढ़ाना:** ऐसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण, जो किसी विकिरण-जाँच को प्राथमिकता देने, रोगी की स्थिति बिगड़ने पर चिकित्सा दल को सचेत करने अथवा किसी छोटे शहर में जटिल मामले का उपचार कर रहे चिकित्सक की सहायता करने में सक्षम हो, उपलब्ध स्वास्थ्य संसाधनों और क्षमता का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।
- **कुछ कार्यों का स्वचालन:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियुक्ति निर्धारित करने, चिकित्सकीय दस्तावेज तैयार करने, दावों के निपटान, सामग्री की योजना बनाने तथा रोगी को अस्पताल से छुट्टी देने की प्रक्रिया जैसे कार्यों में सहायता कर सकती है। यदि इन कार्यों का उचित प्रबंधन न किया जाए, तो इनमें लगने वाला समय रोगी की देखभाल से ध्यान और संसाधन हटा सकता है।
- **वित्तीय लाभ:** जनवरी 2026 में मैकिन्से द्वारा किए गए एक विश्लेषण में अनुमान लगाया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आय-वसूली प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से वसूली की लागत में **30 से 60 प्रतिशत तक की कमी** लाई जा सकती है।
    - अस्पतालों के लिए इस प्रकार की बचत से चिकित्सा दलों, उपकरणों और स्वास्थ्य सेवा क्षमता के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक कार्यों का भार कम होने से स्वास्थ्यकर्मियों में होने वाली थकान और कार्य-संबंधी दबाव को भी कम किया जा सकता है।
- **दूरस्थ निगरानी:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से की जाने वाली दूरस्थ निगरानी से रोगी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनाए रखी जा सकती है।
- जोखिम आधारित निवारक कार्यक्रम उन लोगों की पहचान करने में सहायता कर सकते हैं जिन्हें रोग के लक्षण गंभीर होने से पहले चिकित्सकीय ध्यान की आवश्यकता है।
- दूरस्थ विशेषज्ञ सहायता के माध्यम से छोटे अस्पतालों को अन्य स्थानों पर उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकीय ज्ञान से जोड़ा जा सकता है।
- रोगों की जाँच एवं पहचान से संबंधित सेवाओं को समुदायों के निकट पहुँचाया जा सकता है, जबकि अस्पताल मधुमेह, हृदय रोग या कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे रोगियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रख सकते हैं।

निष्कर्ष

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक परिवर्तन ला सकती है। यह गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय विशेषज्ञता को अधिक लोगों तक पहुँचाने, रोगों की प्रारंभिक पहचान करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- चूँकि स्वास्थ्य सेवाएँ भारत की जनसंख्या की उत्पादकता और कल्याण से निकटता से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनका प्रभाव केवल स्वास्थ्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आर्थिक विकास पर भी पड़ता है।
- अतः स्वास्थ्य सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वास्तविक सफलता केवल इसके तकनीकी उपयोग या व्यापक प्रसार से निर्धारित नहीं होगी। इसकी सफलता का वास्तविक मापदंड **बेहतर स्वास्थ्य परिणाम, अधिक सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ और जीवन की बेहतर गुणवत्ता** होगा।

स्रोत: TH

वर्ष 2028–29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की सदस्यता हेतु भारत का अभियान

संदर्भ

- भारत ने **2028–29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अस्थायी सदस्यता** हेतु अपना अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए चुनाव जून 2027 में निर्धारित है।

NEXT IAS हिन्दी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इसकी संरचना

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। इसमें कुल **15 सदस्य** होते हैं:
  - **5 स्थायी सदस्य:** अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इन पाँचों देशों के पास **वीटो का अधिकार** है।
  - **10 अस्थायी सदस्य:** इनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। प्रत्येक वर्ष पाँच सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है।
- सीटों का वितरण विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच इस प्रकार है:
  - अफ्रीका — 3
  - एशिया-प्रशांत — 2
  - लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र — 2
  - पश्चिमी यूरोप और अन्य देश — 2
  - पूर्वी यूरोप — 1
- किसी उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए महासभा में उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों के **दो-तिहाई बहुमत** की आवश्यकता होती है।
- चुनाव **गुप्त मतदान** के माध्यम से कराया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रमुख उद्देश्य

- संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के अंतर्गत सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य है:
  - अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
  - विवादों की जाँच करना और उनके शांतिपूर्ण समाधान की सिफारिश करना।
  - आवश्यकता पड़ने पर प्रतिबंध लगाना और सामूहिक कार्रवाई को अधिकृत करना।
  - शांति स्थापना तथा अन्य आवश्यक कार्रवाई को अधिकृत करना।
  - संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति तथा नए सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किए जाने की सिफारिश करना।

भारत और सुरक्षा परिषद की सदस्यता

- यदि भारत **2028–29** के लिए निर्वाचित होता है, तो वह **नौवीं बार** सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा।
- भारत इससे पहले निम्नलिखित अवधियों में अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में रह चुका है:
- **1950–51, 1967–68, 1972–73, 1977–78, 1984–85, 1991–92, 2011–12 और 2021–22।**
- भारत का एशियाई समूह में एकमात्र प्रतिद्वंद्वी **ताजिकिस्तान** है।
- क्षेत्रीय समीकरण भी महत्वपूर्ण हैं। **2027–28 में एशिया की दूसरी सीट पर किर्गिस्तान** रहेगा, जो पाकिस्तान का स्थान लेगा।

भारत की सदस्यता के पीछे तर्क

- **वैश्विक शासन में अधिक प्रभावी भूमिका:** सुरक्षा परिषद की सदस्यता भारत को संघर्ष, आतंकवाद, शांति स्थापना तथा उभरती सुरक्षा चुनौतियों से संबंधित वैश्विक चर्चाओं को प्रभावित करने के लिए एक संस्थागत मंच प्रदान करती है।
- **विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व:** भारत समान एवं न्यायसंगत वैश्विक शासन तथा बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार से संबंधित विकासशील देशों की चिंताओं को प्रभावी ढंग से सामने रख सकता है।
- **आतंकवाद-रोधी कूटनीति:** सुरक्षा परिषद आतंकवाद, उसके वित्तपोषण से जुड़े नेटवर्क तथा प्रसार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण मंच बनी हुई है।
- **स्थायी सदस्यता का लक्ष्य:** सुरक्षा परिषद के चुनावों में बार-बार सफलता भारत के स्थायी सदस्य बनने के दावे को सुदृढ़ कर सकती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि भारत को व्यापक कूटनीतिक स्वीकार्यता प्राप्त है और वह संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम है।

संबंधित प्रयास एवं प्रमुख बाधाएँ

- हाल के चुनाव यह दर्शाते हैं कि केवल वैश्विक प्रतिष्ठा किसी देश की जीत सुनिश्चित नहीं करती।
- वर्ष 2026 में जर्मनी अपनी आर्थिक शक्ति के बावजूद पश्चिमी यूरोपीय समूह की सीट के लिए चुनाव हार गया, जबकि एशिया में किर्गिस्तान को मजबूत समर्थन प्राप्त हुआ।
- यह स्थिति **गठबंधन निर्माण, क्षेत्रीय एकजुटता और मुद्दा-आधारित कूटनीति** के महत्व को रेखांकित करती है।
- सुरक्षा परिषद में भारत के **2021–22 के कार्यकाल** तथा विकासशील देशों के साथ उसके बढ़ते संपर्क ने उसकी कूटनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया है।
- वर्ष 2010 में कजाकिस्तान से संबंधित चुनावी प्रतिस्पर्धा के दौरान भारत ने द्विपक्षीय कूटनीति के माध्यम से प्रत्यक्ष टकराव से बचने के लिए सफलतापूर्वक प्रयास किया और बाद में **187 मत** प्राप्त किए।
- हालाँकि, भारत के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। इनमें क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार, विकासशील देशों के बीच अलग-अलग हित, भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न समूहों में व्यापक समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता प्रमुख हैं।

NEXT IAS हिन्दी

आगे की राह

- भारत को प्रारंभिक चरण से ही निरंतर और समावेशी अभियान चलाना चाहिए। इसके लिए द्विपक्षीय संपर्क के साथ-साथ क्षेत्रीय संगठनों और छोटे देशों तक प्रभावी पहुँच बनाना आवश्यक होगा।
- भारत की कूटनीति का केंद्र विकास, आतंकवाद-रोधी प्रयास, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, शांति स्थापना तथा वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे साझा मुद्दे होने चाहिए।
- इसलिए **2028–29 का अभियान केवल एक और निर्वाचित कार्यकाल प्राप्त करने के प्रयास के रूप में नहीं**, बल्कि भारत की इस क्षमता को प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए कि वह अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, प्रभावी और बहुध्रुवीय संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के निर्माण में रचनात्मक योगदान दे सकता है।

स्रोत: IE

मेघालय द्वारा खदान बंदी नीति के क्रियान्वयन में विलंब

संदर्भ

- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. पी. कटाके की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने मेघालय सरकार की व्यापक **खदान बंदी नीति** लागू करने में देरी तथा राज्य में अवैध **चूहे के बिल जैसी संकरी सुरंगों वाली कोयला खनन पद्धति** को रोकने में विफलता की आलोचना की है।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने वर्ष 2014 में **रैट-होल खनन** पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इससे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुँचती है और खनिकों के जीवन को खतरा रहता है।
- मेघालय उच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 में न्यायमूर्ति **बृजेंद्र प्रसाद कटाके** की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार को आवश्यक उपाय सुझाने का दायित्व सौंपा गया था।

समिति द्वारा उजागर किए गए प्रमुख मुद्दे

- **खदान बंदी नीति में देरी:** मेघालय में परित्यक्त और अवैध रूप से संचालित कोयला खदानों को बंद करने तथा उनका पुनर्वास करने के लिए अभी तक व्यापक नीति लागू नहीं की गई है।
    - कई खुली खदान सुरंगों को अब तक न तो सुरक्षा उपायों के अंतर्गत लाया गया है और न ही उन्हें बंद किया गया है, जिससे मनुष्यों एवं पशुओं के लिए गंभीर जोखिम बना हुआ है।
- **बड़ी संख्या में परित्यक्त खदानें:** जयंतिया कोयला खदान मालिक एवं व्यापारी संघ के अनुसार, अकेले पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के 360 गाँवों में लगभग **60,000 खदानें** हैं। इनमें से अधिकांश खदानें परित्यक्त हैं, लेकिन उन्हें खुला छोड़ दिया गया है।
- **अपर्याप्त पुनर्वास योजना:** केंद्रीय खनन योजना एवं अभिकल्प संस्थान लिमिटेड ने दो प्रारंभिक पुनर्वास परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए हैं।
    - पहली परियोजना पूर्वी जयंतिया हिल्स के **सुतंगा** में प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत **63 लाख रुपये** है।
    - दूसरी परियोजना दक्षिण गारो हिल्स जिले के **अरेंगटिम** में प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत **92.78 लाख रुपये** है।
    - हालाँकि, दोनों प्रस्ताव अभी भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित **निगरानी समिति** के समक्ष लंबित हैं।
- **कोयला आधारित उद्योगों का कमजोर नियमन:** समिति ने कोयले पर अत्यधिक निर्भर **कोक भट्ठी संयंत्रों** की जाँच और निगरानी में कमियों की पहचान की है।

रैट-होल खनन क्या है?

- **रैट-होल** शब्द भूमि के अंदर खोदी जाने वाली अत्यंत संकरी सुरंगों के लिए प्रयुक्त होता है। ये सुरंगें सामान्यतः लगभग **3–4 फीट ऊँची** होती हैं और इतनी ही चौड़ी होती हैं कि एक व्यक्ति उनमें प्रवेश कर सके तथा कोयला निकाल सके।
- सुरंग खोदने के बाद खनिक रस्सियों या बाँस की सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरकर कोयले की परतों तक पहुँचते हैं।
- इसके बाद कुदाल, फावड़े और टोकरियों जैसे साधारण उपकरणों की सहायता से कोयला हाथ से निकाला जाता है।

रैट-होल खनन से संबंधित चिंताएँ

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** रैट-होल खनन अत्यंत छोटी और अस्थिर सुरंगों में किया जाता है, जहाँ उचित वेंटिलेशन, संरचनात्मक सहारा एवं श्रमिकों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसी मूलभूत सुरक्षा व्यवस्थाएँ प्रायः उपलब्ध नहीं होतीं।
    - वर्ष 2018 में मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले की एक कोयला खदान में लगभग **15 रैट-होल खनिकों की मृत्यु** हो गई थी।
- **पर्यावरणीय समस्याएँ:** खनन की यह प्रक्रिया भूमि क्षरण, वनों की कटाई और जल प्रदूषण का कारण बन सकती है।
- मेघालय में रैट-होल खनन के कारण **कोपिली नदी** का जल अम्लीय हो गया था। यह नदी मेघालय और असम से होकर प्रवाहित होती है।

- **जनहानि:** खनन की इस पद्धति में कार्य की परिस्थितियाँ अत्यंत जोखिमपूर्ण होती हैं। इसके कारण अनेक दुर्घटनाएँ हुई हैं, जिनमें श्रमिक घायल हुए हैं और कई लोगों की मृत्यु हुई है।
- **बाल श्रम:** सुरंगें अत्यंत संकरी होने के कारण खदानों में बच्चों से भी कार्य कराया जाता है, क्योंकि वे घुटनों के बल इन संकरे स्थानों से होकर निकल सकते हैं।

रैट-होल खनन के जारी रहने के कारण

- **वैकल्पिक आजीविका का अभाव:** कुछ क्षेत्रों में रोजगार के वैकल्पिक अवसर बहुत सीमित हैं। इसलिए खनिकों के लिए दूसरे व्यवसायों में जाना कठिन हो जाता है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव:** कई क्षेत्रों में रैट-होल खनन आय का प्रमुख स्रोत है। इसलिए संबंधित प्राधिकारी इस गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए कठोर कार्रवाई नहीं करते।
- **गरीबी:** आर्थिक कठिनाइयाँ और गरीबी लोगों को आजीविका के साधन के रूप में रैट-होल खनन में शामिल होने के लिए बाध्य करती हैं।
- **आर्थिक व्यवहार्यता:** मेघालय में कोयले की परत अत्यंत पतली है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र से चट्टानों को हटाना और खदान के अंदर उसके ढहने से रोकने के लिए सहारे के खंभे बनाना अधिक खर्चीला होगा। इसलिए अन्य खनन पद्धतियाँ आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं मानी जातीं।

अवैध कोयला खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- भारत सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए **'खनन प्रहरी'** नामक एक मोबाइल अनुप्रयोग तथा **कोयला खदान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली** नामक एक वेब आधारित प्रणाली शुरू की है। इनके माध्यम से संबंधित कानून-व्यवस्था लागू करने वाले प्राधिकारी अनधिकृत खनन की निगरानी कर आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।
- कोल इंडिया लिमिटेड की कुछ सहायक कंपनियों में अवैध खनन के विभिन्न पहलुओं की निगरानी के लिए विभिन्न स्तरों पर—**खंड, अनुमंडल, जिला और राज्य स्तर**—समितियों या कार्यबलों का गठन किया गया है।
- **वैज्ञानिक कोयला खनन की ओर बढ़ता कदम:** मेघालय ने लागू खनन एवं पर्यावरणीय नियमों के अंतर्गत विनियमित और वैज्ञानिक तरीके से कोयला खनन की दिशा में कदम बढ़ाया है।
- नई व्यवस्था के अंतर्गत आधिकारिक रूप से अनुमति प्राप्त पहली कोयला खदानों में वर्ष **2025 में उत्पादन शुरू हुआ।**

आगे की राह

- **समुदाय की भागीदारी:** स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर अवैध खनन से होने वाले जोखिमों और उसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए तथा अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई में उनका सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।
- **आर्थिक विकास:** खनन पर निर्भर क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका के अवसर तथा आर्थिक विकास से संबंधित योजनाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि लोगों की अवैध खनन पर निर्भरता कम की जा सके।
- **बेहतर निगरानी:** खनन गतिविधियों की निगरानी तथा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।

स्रोत: TH

मधु क्रांति (The Sweet Revolution): मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन और परागणकर्ताओं का संरक्षण

संदर्भ

- भारत में विगत एक दशक के दौरान शहद के उत्पादन में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। हालांकि, इस **मधु क्रांति** की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि मधुमक्खियों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि वे आवश्यक परागणकर्ता होने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में बिना पारिश्रमिक के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्राकृतिक शक्ति हैं।

बिना पारिश्रमिक के कृषि कार्यबल के रूप में मधुमक्खियाँ

- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, परागणकर्ता विश्व के कुल फसल उत्पादन में लगभग **एक-तिहाई** योगदान देते हैं तथा 115 प्रमुख खाद्य फसलों में से **87 फसलों की उत्पादकता बढ़ाने** में सहायक होते हैं।
- मधुमक्खियों द्वारा किया जाने वाला परागण विशेष रूप से तिलहन, फलों, सब्जियों तथा कई अन्य खाद्य फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। इस कारण मधुमक्खियाँ सतत कृषि व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक हैं।
- मधुमक्खी पालन ग्रामीण आजीविका के विविधीकरण, रोजगार सृजन तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने में भी योगदान देता है।

भारत में मधुमक्खी पालन और शहद क्षेत्र

- भारत चीन के बाद विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा शहद उत्पादक देश** बन गया है। यह मधुमक्खी पालन और व्यावसायिक स्तर पर शहद उत्पादन के विस्तार को दर्शाता है।

- भारत में पिछले एक दशक के दौरान शहद का उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है। वर्ष 2013–14 में लगभग **76,000 टन** उत्पादन की तुलना में वर्ष 2025–26 में यह बढ़कर लगभग **1,51,000 टन** हो गया।
- भारत विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक शहद का निर्यात करता है, जिनमें **सरसों/तोरी का शहद, नीलगिरी का शहद, लीची का शहद और सूरजमुखी का शहद** आदि प्रमुख हैं।
- भारत में शहद के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं:
    - उत्तर प्रदेश — 17%
    - पश्चिम बंगाल — 16%
    - पंजाब — 14%
    - बिहार — 12%
    - राजस्थान — 9%
- भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्यों में **संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और लीबिया** शामिल हैं।
- भारत के कुल शहद उत्पादन का लगभग **70 प्रतिशत निर्यात** किया जाता है। वर्ष 2025–26 में शहद का निर्यात लगभग **208 मिलियन अमेरिकी डॉलर** का रहा। वैश्विक शहद निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग **8.4 प्रतिशत** है।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM)

- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है, जिसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को समग्र रूप से बढ़ावा देना एवं उसका विकास करना तथा गुणवत्तापूर्ण शहद एवं मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त अन्य उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।

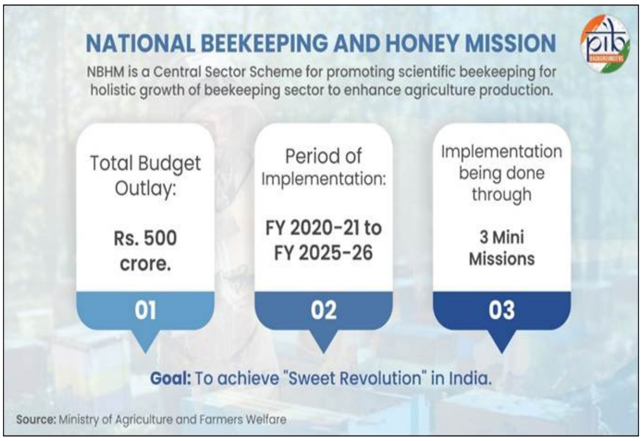

प्रमुख चुनौतियाँ

- भारत का शहद निर्यात अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भर रहा है। वर्ष 2025–26 में भारत के कुल शहद निर्यात का लगभग **76 प्रतिशत** अकेले अमेरिकी बाजार में गया।
    - इस प्रकार की निर्भरता भारतीय मधुमक्खी पालकों और निर्यातकों को एक प्रमुख बाजार में शुल्क में बदलाव, व्यापार प्रतिबंधों, नियामकीय बाधाओं तथा मांग में परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।
- **कम मूल्य प्राप्ति:** भारत मुख्यतः शहद का निर्यात बड़ी मात्रा में और अपेक्षाकृत कम ब्रांड पहचान वाले उत्पाद के रूप में करता है। इससे उच्च मूल्य वाले बाजारों में अधिक लाभ प्राप्त करने की उसकी क्षमता सीमित रहती है।
- **घरेलू बाजार की अप्रयुक्त क्षमता:** देश की बड़ी जनसंख्या और निरंतर बढ़ते उत्पादन के बावजूद भारत में प्रति व्यक्ति शहद की वार्षिक खपत लगभग **37 ग्राम** ही है।
    - कमजोर घरेलू बाजार के कारण इस क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय मांग पर निर्भरता में वृद्धि हो जाती है।
- **मधुमक्खियों के स्वास्थ्य में गिरावट:** कीटनाशकों का अनियंत्रित प्रयोग, विशेष रूप से फूल आने की अवधि के दौरान, मधुमक्खियों की संख्या और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा उनकी परागण संबंधी सेवाओं को कम करता है।
- **अपर्याप्त परीक्षण व्यवस्था:** नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद (NMR) आधारित परीक्षण, गुणवत्ता प्रमाणन, अवशेष परीक्षण और उत्पाद की उत्पत्ति एवं आपूर्ति-श्रृंखला का पता लगाने की व्यवस्था से संबंधित अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा उच्च मूल्य वाले अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच को सीमित कर सकता है।

आगे की राह

- भारत को केवल शहद तक सीमित रहने के बजाय **मधुमोम, मधुमक्खी गोंद, राजमधु और मधुमक्खी परागकण** जैसे अन्य उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन का विस्तार करना चाहिए। इससे मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ाने और अधिक मूल्य वाले बाजारों तक पहुँच बनाने में सहायता मिलेगी।
- अंतरराष्ट्रीय मानकों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने तथा भारतीय शहद की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए **नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद आधारित परीक्षण प्रयोगशालाओं, गुणवत्ता प्रमाणन और उत्पाद की उत्पत्ति एवं आपूर्ति-श्रृंखला का पता लगाने वाली व्यवस्थाओं** में निवेश आवश्यक है।
- **स्थिरता:** शहद उत्पादन के विस्तार से मधुमक्खियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मधुमक्खियों के संरक्षण को केवल पर्यावरणीय प्राथमिकता के रूप में नहीं, बल्कि **कृषि नीति की महत्वपूर्ण प्राथमिकता** के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

स्रोत: IE

ओडिशा में तटीय कटाव

संदर्भ

- केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने बताया कि ओडिशा की **564 किलोमीटर लंबी तटरेखा का लगभग 28 प्रतिशत भाग तटीय कटाव** से प्रभावित हो रहा है।

परिचय

- यह जानकारी राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) द्वारा किए गए एक अध्ययन पर आधारित है। केंद्र ने वर्ष **1990 से 2022** के बीच ओडिशा के तट पर तटरेखा में होने वाले परिवर्तनों का व्यापक आकलन एवं मानचित्रण किया।
  - राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र भारतीय तटरेखा में दीर्घकालिक तटीय परिवर्तनों की निगरानी करता है।
- ओडिशा की लगभग **28.3 प्रतिशत तटरेखा कटाव** से प्रभावित हो रही है, जबकि **17.6 प्रतिशत तटरेखा स्थिर** है और **54.1 प्रतिशत तटरेखा में निक्षेपण अथवा विस्तार** हो रहा है।

तटीय कटाव

- तटीय कटाव वह प्रक्रिया है, जिसमें स्थानीय समुद्र-स्तर में वृद्धि, तीव्र लहरों तथा तटीय बाढ़ के कारण तट के किनारे स्थित चट्टानें, मृदा और रेत धीरे-धीरे घिसकर नष्ट होती हैं या प्रवाहित हो जाती हैं।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र ने वर्ष **1990 से 2018** के दौरान पूरे भारतीय तट की तटरेखा में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी की।
  - अध्ययन में पाया गया कि भारत की **33.6 प्रतिशत तटरेखा कटाव के प्रति संवेदनशील** थी, **26.9 प्रतिशत तटरेखा में निक्षेपण अथवा विस्तार** हो रहा था, जबकि **39.6 प्रतिशत तटरेखा स्थिर** थी।
- **प्रभाव:** तटीय कटाव आजीविका के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है, विशेष रूप से उन मछुआरा समुदायों के लिए जो तटीय स्थिरता पर निर्भर हैं।
  - सड़क, आवास और पत्तन जैसी आधारभूत संरचनाएँ भी गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं। वहीं, ज्वारनदमुख और मैंग्रोव क्षेत्रों जैसे जैव-विविधता से समृद्ध क्षेत्र भी नष्ट होने के जोखिम का सामना कर रहे हैं।
- **तटीय कटाव के लिए उत्तरदायी कारक:**
  - **समुद्र-स्तर में वृद्धि:** जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे समुद्री तूफानों के दौरान जल-उछाल तथा तटीय बाढ़ का प्रभाव बढ़ जाता है।
  - **रेत खनन और आधारभूत संरचना परियोजनाएँ:** अनियंत्रित रूप से रेत निकालने तथा पत्तनों, समुद्री दीवारों और तरंग-रोधी संरचनाओं के निर्माण से तलछट के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। इससे संवेदनशील क्षेत्रों में तटीय कटाव की गति बढ़ जाती है।
  - **मैंग्रोव का क्षरण:** मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक अवरोधों के नष्ट होने से तटरेखा तेज लहरों के सीधे प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है।

समुद्री कटाव से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की पूरी तटरेखा के लिए **जोखिम रेखा** निर्धारित की है।
- जोखिम रेखा तटरेखा में होने वाले परिवर्तनों, जिनमें जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र-स्तर में होने वाली वृद्धि भी शामिल है, को दर्शाती है।
- इस रेखा का उपयोग तटीय राज्यों की संबंधित एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन तथा अनुकूलन एवं जोखिम न्यूनीकरण उपायों की योजना बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किया जाना है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण तथा मछुआरों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019** जारी की है।
- मंत्रालय ने सभी तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए दिशानिर्देशों के साथ **तटीय संरक्षण की राष्ट्रीय रणनीति** भी तैयार की है।
- जल शक्ति मंत्रालय की **बाढ़ प्रबंधन योजना**, जिसमें समुद्री कटाव-रोधी योजनाएँ भी शामिल हैं, राज्यों की प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से तैयार और क्रियान्वित की जाती हैं।
- **तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (CMIS):** केंद्रीय क्षेत्र की योजना **'जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास'** के अंतर्गत तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का एक नया घटक शुरू किया गया है।
  - तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत तट के निकट के क्षेत्रों से संबंधित आँकड़े एकत्र किए जाते हैं। इन आँकड़ों का उपयोग संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में योजना निर्माण, अभिकल्पना, निर्माण तथा रखरखाव के लिए किया जा सकता है।
- संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में तटीय संरक्षण उपायों की अभिकल्पना तथा **तटरेखा प्रबंधन योजनाओं** की तैयारी के लिए तटीय राज्यों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की गई है।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

श्री अरविंद

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अरविंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री अरविंद का जन्म **15 अगस्त 1872** को हुआ था और उनका निधन **5 दिसंबर 1950** को हुआ।

प्रारंभिक जीवन

- उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड में **सेंट पॉल्स स्कूल, लंदन** तथा **किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज** से प्राप्त की।
- वर्ष 1893 में वे भारत लौटे और अगले तेरह वर्षों तक बड़ौदा रियासत में तथा बड़ौदा कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया।

स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- उन्होंने युवाओं को संगठित करने के लिए कई युवा संगठनों की स्थापना में सहायता की। इनमें वर्ष 1902 में कलकत्ता में स्थापित **अनुशीलन समिति** भी शामिल थी।
- वर्ष 1906 में अरविंद को कलकत्ता के **नेशनल कॉलेज (बंगाल नेशनल कॉलेज)** का प्रथम प्राचार्य नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ किया।
- वे भारत के पहले ऐसे राजनीतिक नेताओं में थे जिन्होंने अपने समाचार-पत्र **'वंदे मातरम्'** के माध्यम से देश के लिए **पूर्ण स्वतंत्रता** का विचार खुले रूप से प्रस्तुत किया।
- वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उन्होंने उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के साथ नेतृत्व किया। वर्ष 1908 में उन्हें **अलीपुर बम कांड** के संबंध में गिरफ्तार किया गया।

योगिक जीवन

- श्री अरविंद ने वर्ष 1905 में बड़ौदा में योग का अभ्यास प्रारंभ किया था। वर्ष 1910 में उन्होंने राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया और अपने आंतरिक आध्यात्मिक जीवन एवं साधना के लिए पूरी तरह समर्पित होने के उद्देश्य से पांडिचेरी चले गए।
- पांडिचेरी में अपने लगभग चालीस वर्षों के प्रवास के दौरान उन्होंने आध्यात्मिक साधना की एक नई पद्धति विकसित की, जिसे उन्होंने **'समन्वित योग'** कहा।
- वर्ष 1926 में उन्होंने **श्री अरविंद आश्रम** की स्थापना की।

साहित्यिक कृतियाँ

- **द लाइफ डिवाइन:** इसमें समन्वित योग के दार्शनिक पक्ष का विवेचन किया गया है।
- **सिंथेसिस ऑफ योगा:** इसमें समन्वित योग के सिद्धांतों और पद्धतियों का वर्णन किया गया है।
- **सावित्री: ए लीजेंड एंड ए सिंबल:** यह एक महाकाव्यात्मक काव्य रचना है।
- उन्होंने दो साप्ताहिक पत्र भी प्रारंभ किए—अंग्रेजी में **'कर्मयोगिन'** और बंगाली में **'धर्म'**।

स्रोत: AIR

शाही भारतीय नौसेना विद्रोह

समाचार में

- भारत के **80वें स्वतंत्रता दिवस** का अवसर वर्ष 1946 के शाही भारतीय नौसेना विद्रोह को स्मरण करने का अवसर प्रदान करता है। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को गंभीर चुनौती दी और भारत की स्वतंत्रता की प्रक्रिया को तीव्र करने में योगदान दिया।

शाही भारतीय नौसेना विद्रोह

- यह विद्रोह **फरवरी 1946** में हुआ था। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय नौसैनिक बलों का एक व्यापक औपनिवेशिक-विरोधी विद्रोह था।
- इसकी शुरुआत बंबई से हुई और शीघ्र ही यह ब्रिटिश भारत के विभिन्न नौसैनिक प्रतिष्ठानों तक फैल गया। इसमें लगभग **20,000 व्यक्ति, 78 जहाज और 20 तटीय प्रतिष्ठान** शामिल हुए।
  - इसे स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश शासन के लिए उत्पन्न अंतिम बड़े खतरों में से एक माना जाता है।

उत्पत्ति एवं इसके पीछे के कारण

- **शाही भारतीय नौसेना** की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका तीव्रता से विस्तार हुआ और इसकी संख्या 2,000 से भी कम कर्मियों से बढ़कर लगभग **30,000** हो गई।
- युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन ने नौसैनिक बलों का विसैन्यीकरण करने तथा इसकी संख्या घटाकर लगभग 11,000 करने की योजना बनाई। इससे नौसैनिकों में भय और असंतोष उत्पन्न हुआ।
- नौसैनिक अपने युद्धकालीन योगदान के बाद उचित सम्मान तथा रोजगार के बेहतर अवसरों की अपेक्षा कर रहे थे।
- उन्हें नस्लीय भेदभाव, खराब भोजन, असंतोषजनक आवास व्यवस्था, अपर्याप्त वेतन एवं भत्तों तथा ब्रिटिश अधिकारियों के कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ रहा था।
- वर्ष 1942 से 1945 के बीच शाही भारतीय नौसेना में पहले ही **नौ अलग-अलग विद्रोह** हो चुके थे, जो मनोबल और नेतृत्व से जुड़ी गंभीर समस्याओं को उजागर करते थे।

NEXT IAS हिन्दी

- **भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमों** ने नौसैनिकों के बीच सुदृढ़ राजनीतिक और राष्ट्रवादी वातावरण तैयार किया।
- बंबई स्थित **एचएमआईएस तलवार** में असंतोष बढ़ रहा था और नवंबर 1945 से नौसैनिक ब्रिटिश-विरोधी नारे लिख और प्रदर्शित कर रहे थे।
- तनाव तब चरम पर पहुँच गया जब कमांडर **आर्थर फ्रेडरिक किंग** पर नौसैनिकों का अपमान करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा। उन्होंने कथित रूप से उन्हें अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया और उनकी शिकायतें सुनने से मना कर दिया।
- **18 फरवरी 1946** को नौसैनिकों ने काम का बहिष्कार शुरू कर दिया, जो वायरलेस संदेशों के माध्यम से शीघ्र ही अन्य नौसैनिक केंद्रों तक फैल गया।

नौसैनिकों की प्रमुख माँगें

- नौसैनिक बेहतर भोजन और आवास की स्थिति, शाही नौसेना के समान वेतन एवं भत्ते, उचित विसैन्यीकरण तथा रोजगार की संभावनाएँ, **एनएएएफआई** की सुविधाओं के उपयोग और प्रताड़ना से सुरक्षा की माँग कर रहे थे।
- उनकी माँगों का स्वरूप शीघ्र ही राजनीतिक भी हो गया। उन्होंने कमांडर किंग के विरुद्ध कार्रवाई, भारतीय राष्ट्रीय सेना के बंदियों की रिहाई एवं निष्पक्ष सुनवाई, इंडोनेशिया से ब्रिटिश सैनिकों की वापसी तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों के लिए भारतीय सैनिकों की तैनाती रोकने की माँग की।

विस्तार

- विद्रोह बंबई से फैलकर **कराची, कलकत्ता, विशाखापत्तनम, मद्रास, जामनगर** और अन्य नौसैनिक केंद्रों तक पहुँच गया।
- नौसैनिकों ने **नौसैनिक हड़ताल समिति** का गठन किया। उन्होंने स्वयं को **भारतीय राष्ट्रीय नौसेना/आजाद हिंद** के रूप में संबोधित किया तथा ब्रिटिश झंडों के स्थान पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे लगाए। यह राष्ट्रवादी एकता का प्रतीक था।
- उन्होंने बुचर द्वीप (जवाहर द्वीप) पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया तथा बंबई में औपनिवेशिक शासन के प्रमुख प्रतीकों को तोपों के लक्ष्य के रूप में निर्धारित कर दिया।

ब्रिटिश प्रतिक्रिया एवं जनसमर्थन

- इस विद्रोह को विशेष रूप से बंबई में व्यापक जनसमर्थन मिला।
- लगभग **तीन लाख श्रमिक, बंदरगाह कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी और विद्यार्थी** हड़ताल पर चले गए तथा विरोध प्रदर्शनों के कारण यातायात एवं व्यापारिक गतिविधियाँ बाधित हुईं।
- स्थानीय नागरिकों ने भी नौसैनिकों के लिए भोजन पहुँचाया।
- ब्रिटिश शासन ने बल प्रयोग के माध्यम से प्रतिक्रिया दी। **22 फरवरी** को पुलिस की गोलीबारी में कथित रूप से कम-से-कम **400 लोग**, जिनमें अधिकांश नागरिक थे, मारे गए और लगभग **1,500–2,000 लोग घायल** हुए।
- शाही भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना के कुछ हिस्सों में भी अशांति की घटनाओं ने ब्रिटिश अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी।

महत्व

- इस विद्रोह ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की **दमनकारी शक्ति के आधार को कमजोर** किया।
- इससे स्पष्ट हुआ कि भारतीय सशस्त्र बलों की निष्ठा को अब ब्रिटिश शासन के पक्ष में स्वाभाविक रूप से सुनिश्चित नहीं माना जा सकता था।
- भारतीय राष्ट्रीय सेना के आंदोलन के साथ मिलकर इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के आत्मविश्वास को गहरा आघात पहुँचाया, भारत से ब्रिटिश वापसी की माँग को बल दिया तथा यह प्रदर्शित किया कि औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष में **हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सहयोग संभव था।**
- इस विद्रोह ने नौसैनिकों की आर्थिक एवं सेवा संबंधी शिकायतों को व्यापक **राष्ट्रीय आंदोलन** से भी जोड़ दिया।

स्रोत:IE

राजस्थान वृक्ष (संरक्षण) विधेयक-2026

संदर्भ

- राजस्थान मंत्रिमंडल ने **राजस्थान वृक्ष (संरक्षण) विधेयक-2026** को स्वीकृति प्रदान की है।

परिचय

- यह विधेयक गैर-वन भूमि पर निर्दिष्ट **29 वृक्ष प्रजातियों की कटाई** को विनियमित करेगा। इस सूची में राज्य वृक्ष **खेजड़ी**, रोहिड़ा, बरगद, पीपल, लसोड़ा, तेंदू, महुआ, कैर और चिरौंजी आदि शामिल हैं।
- किसी व्यक्ति के स्वामित्व या उसके नियन्त्रण वाली भूमि पर निर्दिष्ट वृक्ष को काटने या कटवाने के लिए अधिकृत प्राधिकारी से **पूर्व अनुमति** लेना आवश्यक होगा।
- प्रस्तावित कानून के अंतर्गत अपराध **संज्ञेय और जमानतीय** होंगे। अवैध रूप से वृक्ष काटने के दोषी व्यक्ति को **एक वर्ष तक के कारावास, एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों** से दंडित किया जा सकता है।
- यदि किसी वृक्ष को अनुमति लेकर हटाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को हटाए गए प्रत्येक वृक्ष के बदले उसी क्षेत्र में निर्धारित संख्या में नए वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।

स्रोत: TH

छद्म विज्ञापन

संदर्भ

- महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कुछ अभिनेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि **विमल इलायची** के लिए उनका विज्ञापन विमल पान मसाला के छद्म विज्ञापन के रूप में कार्य करता है।

परिचय

- **छद्म विज्ञापन** विपणन का ऐसा तरीका है, जिसके माध्यम से उन उत्पादों का अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार किया जाता है जिनके विज्ञापन पर सरकारी नियमों के अंतर्गत प्रतिबंध या सीमाएँ लागू हैं। इनमें शराब, तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पाद शामिल हैं।
- महाराष्ट्र ने **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006** की धारा 30(2)(a) के अंतर्गत वर्ष 2012 से तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा रखा है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत भ्रामक विज्ञापन

- इसके अंतर्गत भ्रामक विज्ञापन से आशय ऐसे विज्ञापन से है, जो किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में:
    - ऐसे उत्पाद या सेवा का गलत विवरण प्रस्तुत करता हो; या
    - उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवा की प्रकृति, संघटन, मात्रा या गुणवत्ता के संबंध में गलत आश्वासन देता हो अथवा उन्हें भ्रमित करने की संभावना रखता हो; या
    - ऐसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दावा करता हो, जो निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता द्वारा किए जाने पर अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाता; या
    - महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपाता हो।
- वर्तमान दिशा-निर्देशों में **"छद्म विज्ञापन"** की परिभाषा ऐसे वस्तु, उत्पाद या सेवा के विज्ञापन के रूप में की गई है, जिसके विज्ञापन पर कानून द्वारा प्रतिबंध या सीमा लागू है।
- इसमें ऐसे प्रतिबंध या सीमा से बचने के उद्देश्य से संबंधित वस्तु, उत्पाद या सेवा को किसी अन्य ऐसी वस्तु, उत्पाद या सेवा के विज्ञापन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके विज्ञापन पर कानून द्वारा प्रतिबंध या सीमा लागू नहीं है।

दंड

- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)** भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन में शामिल व्यक्तियों पर **10 लाख रुपये तक का जुर्माना** लगा सकता है।
- बार-बार उल्लंघन किए जाने पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण **50 लाख रुपये तक का जुर्माना** लगा सकता है।
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भ्रामक विज्ञापन का समर्थन करने वाले व्यक्ति को **एक वर्ष तक** किसी भी उत्पाद या सेवा का समर्थन करने से प्रतिबंधित कर सकता है। दोबारा उल्लंघन होने पर यह प्रतिबंध **तीन वर्ष तक** बढ़ाया जा सकता है।

स्रोत: IE

सप्तधारा

समाचार में

- प्रधानमंत्री ने वर्ष **2047 तक विकसित भारत** के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने के लिए सात सूत्रीय **'सप्तधारा' सुधार रूपरेखा** का शुभारंभ किया।

सप्तधारा

- यह भारत की प्रगति और राष्ट्रीय शक्ति से संबंधित **सात रणनीतिक धाराएँ** हैं, जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के संबोधन में किया।
- इसमें उद्योग, कृषि, प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना, रक्षा, हरित एवं नीली अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक प्रभाव को भारत के विकास के आगामी चरण के परस्पर जुड़े प्रमुख आधारों के रूप में शामिल किया गया है।

प्रमुख स्तंभ

- **विनिर्माण शक्ति:** भारत को वैश्विक विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला का प्रमुख केंद्र बनाना, जिसमें लागत प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता, बड़े पैमाने पर उत्पादन, सटीकता, कल-पुर्जों तथा तैयार उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
    - भारत को कल-पुर्जों और अभिकल्पना से लेकर तैयार उत्पादों के निर्माण तक पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित करनी होगी तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी होगी।
    - लागत, गुणवत्ता और उत्पादन के स्तर, प्रतिस्पर्धी कारखानों, उपयोगकर्ता-अनुकूल वस्तुओं, आकर्षक पैकेजिंग तथा दोषरहित एवं सटीक विनिर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। भारतीय उत्पादन का मूल मंत्र **गुणवत्ता** होना चाहिए और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
- **कृषि एवं खाद्य उत्पादन:** मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ना तथा भारतीय मोटे अनाज, मसालों, फलों, सब्जियों और पारंपरिक खाद्य पदार्थों को विश्वस्तरीय ब्रांड के रूप में बढ़ावा देना।

NEXT IAS हिन्दी

- रसायन-मुक्त कृषि तथा कृषि उत्पादों को भी वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना होगा।

- **प्रौद्योगिकी एवं नवाचार:** यूपीआई और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की उपलब्धियों के आधार पर स्वदेशी **छठी पीढ़ी की दूरसंचार प्रणाली** को विकसित करना, ताकि भारत आँकड़ा केंद्रों, रोबोट, नई प्रौद्योगिकियों तथा अगली पीढ़ी के संचार के क्षेत्र में नवाचार का प्रमुख केंद्र बन सके।
- **गतिशक्ति:** सड़कों, द्रुतमार्गों, उच्च गति वाली रेल तथा पत्तन आधारित विकास के माध्यम से निर्बाध और तीव्र बहु-माध्यम संपर्क स्थापित करके माल परिवहन संबंधी बाधाओं को कम करना।
    - पत्तन केवल वस्तुओं के लदान और उतारने के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे **पत्तन आधारित विकास एवं आर्थिक प्रगति के प्रमुख साधन** भी हैं।
- **रक्षा शक्ति:** आत्मनिर्भर रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना, जिसमें ड्रोन, ड्रोन-रोधी प्रणालियों तथा आगामी पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही, भारत को विश्व के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल करने का प्रयास किया जाए।
    - एक अन्य क्षेत्र, जिसमें भारतीय युवाओं की क्षमता का उपयोग भारत और विश्व दोनों के हित में किया जा सकता है, वह **साइबर सुरक्षा** है।
- **हरित एवं नीली अर्थव्यवस्था:** हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करना तथा मत्स्य पालन, तटीय पर्यटन एवं समुद्री प्रौद्योगिकी के माध्यम से **नीली अर्थव्यवस्था** का प्रभावी उपयोग करना।
- **भारत की सांस्कृतिक शक्ति:** योग, हस्तशिल्प, सिनेमा, एनीमेशन, खेल, डिजिटल सामग्री, पर्यटन और सृजनात्मक अर्थव्यवस्था के माध्यम से भारत की वैश्विक सांस्कृतिक पहुँच को सुदृढ़ करना।

सप्तधारा का महत्व

- सप्तधारा आर्थिक विकास, तकनीकी क्षमता, आधारभूत संरचना, ऊर्जा सुरक्षा और सांस्कृतिक प्रभाव को विकास की एक व्यापक रूपरेखा में एक-दूसरे से जोड़ती है।
- यह भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिति सुदृढ़ करने के लिए **निर्यात, आपूर्ति शृंखला, नवाचार और संपर्क व्यवस्था** को विशेष महत्व देती है।

स्रोत: PIB

फ्रेडराइख एटैक्सिया (FRDA)

संदर्भ

- भारत में कई समुदायों में रक्त-संबंधी विवाह की प्रथा प्रचलित है। इससे उन आनुवंशिक रोगों का जोखिम काफी बढ़ जाता है, जो सामान्यतः दुर्लभ होते हैं। फ्रेडराइख एटैक्सिया ऐसा ही एक आनुवंशिक रोग है।

परिचय

- फ्रेडराइख एटैक्सिया या FRDA एक आनुवंशिक विकार है, जो धीरे-धीरे तंत्रिकाओं और हृदय को क्षतिग्रस्त करता है।
- प्रभावित व्यक्तियों में सामान्यतः 5 से 15 वर्ष की आयु के बीच इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं।
- **लक्षण:**
    - शरीर के संतुलन और गतिविधियों के समन्वय में अस्थिरता तथा कठिनाई।
    - बोलने की गति धीमी हो जाना और अस्पष्ट उच्चारण।
    - निगलने में कठिनाई।
    - सुनने और देखने की क्षमता में गिरावट।
    - अत्यधिक थकान और संवेदनशीलता का कम होना।
    - रोग बढ़ने पर अधिकांश रोगियों की अपेक्षाकृत कम आयु में हृदय रोग के कारण मृत्यु हो जाती है।
    - इस रोग का वर्तमान में कोई स्थायी उपचार उपलब्ध नहीं है।
- FRDA होने की संभावना तब अधिक होती है, जब माता और पिता दोनों में दोषपूर्ण जीन उपस्थित हो। यह रोग FXN जीन में होने वाले आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है।
- रक्त-संबंधी विवाह अर्थात रिश्तेदारों, जैसे चचेरे या ममेरे भाई-बहन के बीच विवाह, में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि दोनों माता-पिता में एक ही दुर्लभ आनुवंशिक उत्परिवर्तन उपस्थित हो।

स्रोत: TH

हारा मैंग्रोव वन

संदर्भ

- ईरान के दक्षिणी तट के निकट तेल के बड़े पैमाने पर फैलाव ने हारा मैंग्रोव वनों के लिए गंभीर पारिस्थितिक खतरा उत्पन्न कर दिया है।

हारा मैंग्रोव वन

- हारा वन, जिन्हें क़ेश्म–हारा मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी ईरान में क़ेश्म द्वीप और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास स्थित हैं।

NEXT IAS हिन्दी

- इन वनों में मुख्य रूप से ग्रे मैंग्रोव (Avicennia marina) पाए जाते हैं। यह प्रजाति लवणीय तटीय वातावरण के अनुकूल रहने में अत्यधिक सक्षम है।
- इस क्षेत्र को यूनेस्को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।

मैंग्रोव क्या हैं?

- मैंग्रोव ऐसे लवण-सहिष्णु वृक्ष और झाड़ियाँ हैं, जो समुद्र के ज्वार-भाटा से प्रभावित तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका विस्तार विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है।
- ये पारिस्थितिकी तंत्र लवणीय परिस्थितियों, ज्वार के दौरान जलमग्न होने तथा कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं।
- **जड़ तंत्र:** मैंग्रोव में विशेष प्रकार की जड़ संरचनाएँ पाई जाती हैं, जैसे आधार जड़ें और श्वसन जड़ें। ये जलभराव वाली परिस्थितियों में श्वसन में सहायता करती हैं तथा पौधों को भौतिक स्थिरता प्रदान करती हैं।
- **आवास:** मैंग्रोव मुख्य रूप से ज्वारनदमुख, ज्वारीय जलधाराओं, कीचड़युक्त तटीय क्षेत्रों और डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

भारत में मैंग्रोव

- भारत में लगभग 4,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं।
- भारत के प्रमुख मैंग्रोव क्षेत्रों में सुंदरबन, भितरकनिका तथा कृष्णा-गोदावरी डेल्टा शामिल हैं।

स्रोत: TH

■■■

NEXT IAS हिन्दी